



मंगला गाउँपालिका

# स्थानीय राजपत्र

खण्ड : ५ बाबियाचौर, म्याग्दी, संख्या : १ मिति : २०७९ साल असार १०

भाग-१

मंगला गाउँपालिका

## मंगला गाउँपालिकाको आर्थिक ऐन, २०७९

**प्रस्तावना :** मंगला गाउँपालिकाको आर्थिक वर्ष २०७९/२०८० को अर्थ सम्बन्धि प्रस्तावनालाई कार्यान्वयन गर्नको निमित्त स्थानीय कर तथा शुल्क संकलन गर्ने र छुट दिने तथा आय संकलनको प्रशासनिक व्यवस्था गर्न वाञ्छनीय भएकोले, नेपालको संविधानको धारा २८८ को उपधारा (२) बमोजिम तथा स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन २०७४ को दफा ७१ बमोजिम मंगला गाउँ सभाले यो ऐन बनाएको छ ।

### १. संक्षिप्त नाम र प्रारम्भ :

क) यस ऐनको नाम " मंगला गाउँपालिकाको आर्थिक ऐन, २०७९" रहेको छ ।

ख) यो ऐन २०७९ साल श्रावन १ गतेदेखि मंगला गाउँपालिका क्षेत्रमा लागू हुनेछ ।

२. **सम्पत्ति कर :** गाउँपालिका क्षेत्रभित्र अनुसूची (१) बमोजिम एकिकृत सम्पत्ति कर / घरजग्गा कर लगाइने र असूल उपर गरिनेछ ।

३. भूमि कर (मालपोत) : गाउँपालिका क्षेत्रभित्र अनुसूची (२) बमोजिम भूमि कर (मालपोत) लगाइनेछ ।
४. घर बहाल कर : गाउँपालिका क्षेत्रभित्र कुनै व्यक्ति वा संस्थाले भवन, घर, पसल, ग्यारेज, गोदाम, टहरा, छप्पर, जग्गा वा पोखरी पुरैका आंशिक तवरले बहालमा दिएकोमा अनुसूची (३) बमोजिम घर जग्गा बहाल कर लगाइने र असुल उपर गरिनेछ ।
५. व्यवसाय कर : गाउँपालिका क्षेत्रभित्र व्यापार व्यवसाय वा सेवामा पूँजिगत लगानी र आर्थिक कारोवारका आधारमा अनुसूची (४) बमोजिम व्यवसाय कर लगाइने र असुल उपर गरिनेछ ।
६. जडिबुटी कवाडि र जीवजन्तु कर : गाउँपालिका क्षेत्रभित्र कुनै व्यक्ती वा संस्थाले ऊन, खोटो, जडिबुटी, वनकस, कवाडि माल र प्रचलित कानूनले निषेध गरिएको जीवजन्तु वाहेकका अन्य मृत वा मारिएका जीवजन्तुको हाड, सिड, प्वाँख, छाला जस्ता बस्तुको व्यावसायीक कारोबार गरेवापत अनुसूची (५) बमोजिमको कर लगाइने र असुल उपर गरिनेछ ।
७. विज्ञापन कर : गाउँपालिका क्षेत्रभित्र हुने विज्ञापन अनुसूची (६) बमोजिम विज्ञापन कर लगाइने र असुल उपर गरिनेछ । तर प्रदेश कानुन स्वीकृत भई सो कानुनमा अन्यथा व्यवस्था भएको अवस्थामा सोहि बमोजिम हुनेछ ।
८. मनोरन्जन कर : गाउँपालिका क्षेत्रभित्र हुने मनोरन्जन व्यवसाय सेवामा अनुसूचि (७) बमोजिम मनोरञ्जन कर लगाइने र असुल उपर गरिनेछ । तर, प्रदेश कानुन स्वीकृत भई सो कानुनमा अन्यथा भएको अवस्थामा सोहि बमोजिम हुनेछ ।
९. बहाल बितौरी शुल्क : गाउँपालिका क्षेत्रभित्र आफुले निर्माण, रेखदेख वा संचालन गरेका अनुसूची (८) मा उल्लेख भए अनुसार हाट बजार वा पसल सोही भनुसूचिमा भएको व्यवस्था अनुसार बहाल बितौरी शुल्क लगाइने र असुल उपर गरिनेछ ।
१०. पार्किङ शुल्क : गाउँपालिका क्षेत्रभित्र सवरी साधनलाई पार्किङ गराए वापत अनुसूची (९) बमोजिम पार्किङ शुल्क लगाइने र असुल उपर गरिनेछ ।
११. ट्रेकिङ, कोयोकिङ, क्यानोइङ्गम बन्जी जम्पिङ्ग जिपफ्लयर र र्याफ्टीङ्ग शुल्क : गाउँपालिकाले आफ्नो क्षेत्रभित्र ट्रेकिङ, कोयोकिङ, क्यानोइङ्गम बन्जी जम्पिङ्ग जिपफ्लयर र र्याफ्टीङ्ग सेवा वा व्यवसाय संचालन गरेवापत (१०) बमोजिमको शुल्क लागइने र असुल उपर गरिनेछ ।

१२. सेवा शुल्क, दस्तुर : गाउँपालिकाले निर्माण, संचालान वा व्यवस्थापन गरेका अनुसूची (११) मा उल्लिखित स्थानीय पूर्वाधार र उपलब्ध गराइएको सेवामा सेवाग्राहिबाट सोही अनुसूचीमा व्यवस्था भए अनुसार शुल्क लगाइने र असुल उपर गरिनेछ ।
१३. पर्यटन शुल्क : गाउँपालिकाले आफ्नो क्षेत्रभित्र प्रवेश गर्ने पर्यटकहरुबाट अनुसूची (१२) मा उल्लिखित दरमा पर्यटन शुल्क लगाइने र असुल उपर गरिनेछ । तर प्रदेश कानून स्वीकृत भई सो कानूनमा अन्यथा व्यवस्था भएको अवस्थामा सोहि बमोजिम हुनेछ ।
१४. ढुङ्गा गिट्टी, वालुवा र ढुङ्गा शुल्क: वातावरणीय तथा पर्यावरणीय पक्षमा प्रतिकूल प्रभाव नहुने अनुसूची (१३) गरी यस गाउँपालिकाले तयार पारेको प्रारम्भिक वातावरणीय परिक्षण प्रतिवेदनका आधारमा गिट्टी ,वालुवा,रोडा, ढुङ्गा , गाउँ कार्यपालिकाको निर्णय अनुसार हुनेछ ।
१५. रोयल्टी शुल्क: गाउँपालिकाको क्षेत्राधिकार भित्र रहेका सामुदायिक वनको रोयल्टी शुल्क अनुसूची (१४) मा उल्लेखित दरमा शुल्क लगाइने र असुल उपर गरिनेछ ।
१६. कर छुट : यस ऐन बमोजिम कर तिर्ने दायित्व भएका व्यक्ति वा संस्थालाई कुनै पनि किसिमको कर छुट दिइने छैन ।
१७. कर तथा शुल्क संकलन सम्बन्धि कार्यविधि : यो ऐनमा भएको व्यवस्था अनुसार कर तथा शुल्क संकलन सम्बन्धित कार्यविधि गाउँपालिकाले तोके अनुसार हुनेछ ।

## अनुसूची-१

ऐनको दफा २ सँग सम्बन्धीत

मंगला गाउँपालिकाले आफ्नो क्षेत्रभित्र लगाउन सक्ने

एकिकृत कर

| सिमलचौर देखि दुखुखोला मुल सडको दायँवायाँ किनारका घरहरू |                        |                                                 |        | वजार क्षेत्र(बाबियाचौर बजारको वगर देखि लामपाटा पहिरोको पूर्वसम्म) |                        |                                                 |        | अन्य क्षेत्रमा  |                        |               |        |
|--------------------------------------------------------|------------------------|-------------------------------------------------|--------|-------------------------------------------------------------------|------------------------|-------------------------------------------------|--------|-----------------|------------------------|---------------|--------|
| कच्ची घर छाप्रो                                        | दुङ्गा माटोको पक्की घर | पक्की घर ढलान एक तला भन्दा बढीमा रु. २५ थप हुने | कैफियत | कच्ची घर छाप्रो                                                   | दुङ्गा माटोको पक्की घर | पक्की घर ढलान एक तला भन्दा बढीमा रु. २५ थप हुने | कैफियत | कच्ची घर छाप्रो | दुङ्गा माटोको पक्की घर | पक्की घर ढलान | कैफियत |
| रु. ६०१-                                               | रु. २००१-              | रु. ३००१-                                       |        | रु. १००१-                                                         | रु. २००१-              | रु. ३००१-                                       |        | रु. ५०/-        | रु. १२०/-              | रु. २००१-     |        |

१. दुङ्गा माटोले बनेको जोडान देखिने कच्ची छाप्रो/झुप्रो घरको सम्बन्धित वडा समितिको सिफारिसमा कर लाग्ने नलाग्ने निर्धारण गरिने ।

२. गरिव घर पहिचान भएकालाई परिचय पत्रको आधारमा घरकर छुट दिइने छ

## अनुसूची-२

ऐनको दफा ३ सँग सम्बन्धीत

मंगला गाउँपालिकाले आफ्नो क्षेत्रभित्र लगाउन सक्ने

भूमि कर (मालपोत)

| सि. नं. | क्षेत्रफलको सिमा              | खेत |      |     |       | वारी |      |     |       |
|---------|-------------------------------|-----|------|-----|-------|------|------|-----|-------|
|         |                               | अवल | दोयम | सिम | चाहार | अवल  | दोयम | सिम | चाहार |
| १       | खेतमा ३ र वारीमा ५ रोपनी सम्म | ५०  | ४०   | ३०  | २०    | ४०   | ३०   | २०  | १०    |
| २       | प्रति रोपनी थप                | १०  | १०   | ५   | ५     | ५    | ५    | ५   | ५     |

## अनुसूची-३

ऐनको दफा ४ सँग सम्बन्धीत

मंगला गाउँपालिकाले आफ्नो क्षेत्रभित्र लगाउन सक्ने

घर बहाल कर

| क्र.सं. | विवरण                 | मासिक दर  |
|---------|-----------------------|-----------|
| १       | संघ संस्था गोदाम भाडा | २ प्रतिशत |
| २       | अन्य प्रयोजनको लागि   | १ प्रतिशत |
| ३       | वहाल विरौटि कर        | १ प्रतिशत |

## अनुसूचि-४

## ऐनको दफा ५ सँग सम्बन्धीत

## मंगला गाउँपालिकाले आफ्नो क्षेत्रभित्र लगाउन सक्ने

## व्यवसाय कर

| क्र.स. | व्यवसायको नाम                                                 | ०७९/०८० | क्र.स. | व्यवसायको नाम                                                | ०७९/०८० |
|--------|---------------------------------------------------------------|---------|--------|--------------------------------------------------------------|---------|
| १      | डिलर सिप सबै प्रकारका<br>(प्रतिडिलर)                          | २५००    | २६     | मोबाइल फोन विक्रि तथ मर्मत<br>सेवा                           | १०००    |
| २      | डिपार्टमेन्टल स्टोर्स                                         | १५००    | २७     | कुरियर सेवा/साईवर सेवा                                       | १०००    |
| ३      | सवारी साधन विक्रेता                                           | २५००    | २८     | आर्थिक कारोवार समेत गर्ने<br>वित्तीय कम्पनिको मुख्य कार्यालय | १५०००   |
| ४      | साइकल पसल                                                     | १०००    | २९     | वित्तीय कम्पनिको शाखा कार्यालय                               | ७०००    |
| ५      | मोटरसाइकल मर्मत पसल                                           | २०००    | ३०     | विमा कम्पनि                                                  | ७०००    |
| ६      | कम्प्युटर, विध्यूतसामान,<br>क्यामेरा, टेलिभिजन, रेडियो,       | १५००    | ३१     | विदेशी मुद्रा सतहि/मनि ट्रान्फर                              | १५००    |
| ७      | मिष्ठान (मिठाइ) पसल                                           | १५००    | ३२     | निजि क्षेत्रका स्कुल, क्याम्पस                               | ६०००    |
| ८      | निर्माण सामग्री/हार्डवेयर पसल<br>सबै प्रकारका                 | ३५००    | ३३     | निजि क्षेत्रका स्कुल र १०+२                                  | ३५००    |
| ९      | दैनिक उपयोग सामान(रु.<br>तिनलाख सम्म पुँजी लगानी)             | ८००     | ३४     | निजि क्षेत्रका मा.बि. स्कुल                                  | २५००    |
| १०     | दैनिक उपयोग सामानको थोक<br>विक्रेता                           | ३०००    | ३५     | निजि क्षेत्रका आधारभुत स्कुल                                 | १५००    |
| ११     | किराना पसल (खुद्रा) (रु.<br>तिनलाख भन्दा माथि पुँजी<br>लगानी) | १५००    | ३६     | निजि क्षेत्रका पूर्व प्रा.बि. स्कुल                          | १०००    |
| १२     | फलफुल तथा तरकारी<br>पसल(रु. तिनलाख सम्म पुँजी<br>लगानी)       | ८००     | ३७     | निजि क्षेत्रका होस्टेलहरु                                    | १५००    |
| १३     | फेन्सी पसल सबै प्रकारका                                       | २०००    | ३८     | तालिम तथा अनुसन्धान केन्द्र                                  | १५००    |
| १४     | सुन पसल, उच्च, माध्यम र<br>सानो                               | १५००    | ३९     | प्राविधिक शिक्षालय                                           | १५००    |
| १५     | मनोरञ्जन कर (चलचित्र,<br>भिडियो)                              | १५००    | ४०     | टाइपिङ कम्प्युटर तथा भाषा<br>प्रशिक्षण केन्द्र स्थापना       | १५००    |

|    |                                                              |      |    |                                                                                                                            |      |
|----|--------------------------------------------------------------|------|----|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|
| १६ | सार्वजनिक परिवहन सेवा<br>/सर्भेयर सेवा                       | १५०० | ४१ | अलैचि प्रति के.जि. निकासी कर                                                                                               | ५    |
| १७ | सिरक, डसना तथा कपास<br>प्रशोधन उद्योग                        | १००० | ४२ | टिमुर प्रति के.जि. निकासी कर                                                                                               | २    |
| १८ | सिरक, डसना तथा कपास<br>प्रशोधन उद्योग वाह्य क्षेत्र<br>दैनिक | १००० | ४३ | जडिवुटी प्रति के.जि. निकासी कर                                                                                             | ५    |
| १९ | भाँडा पसल                                                    | १५०० | ४४ | कस्मेट्री पसल                                                                                                              | १५०० |
| २० | सिमेन्ट ब्लक उद्योग                                          | २००० | ४५ | व्युटी पार्लर                                                                                                              | १५०० |
| २१ | मेटम ग्निल उद्योग                                            | २००० | ४६ | केवल/नेटवर्क                                                                                                               | ३५०० |
| २२ | इट्टा उद्योग (चिम्नि भट्टा)                                  | २००० | ४७ | गैर सरकारी /सामुदायिक/निजि<br>/नर्सिङ होम/ल्याव तथा<br>क्लिनिक्/होमियोप्याथी तथा<br>प्राकृतिक चिकिस्ता<br>क्लिनिक्/अस्पताल | २००० |
| २३ | इट्टा उद्योग (साधारण भट्टा)                                  | १००० | ४८ | होटल/लज तथा रेष्टुरेण्ट क वर्ग                                                                                             | ५००० |
| २४ | एन सेल संचार/निजी मोवाइल<br>सेवा                             | २५०० | ४९ | फलफुल विरुवा वेचविखन<br>गर्नेले विज्ञको सिफारिसमा<br>गाउँपालिकाको अनुमतिमा दर्ता<br>गरि प्रति विरुवा                       | १    |
| २५ | निजी टेलिफोन तथा इमेल<br>इन्टरनेट प्रिन्टीङ फोटोकपी<br>सेवा  | १००० |    |                                                                                                                            |      |

## अनुसूचि-४

ऐनको दफा ५ सँग सम्बन्धीत  
मंगला गाउँपालिकाले आफ्नो क्षेत्रभित्र लगाउन सक्ने

## व्यवसाय कर

| क्र.स. | व्यवसायको नाम                                                 | ०७९/०८० | क्र.स. | व्यवसायको नाम                                         | ०७९/०८० |
|--------|---------------------------------------------------------------|---------|--------|-------------------------------------------------------|---------|
| ५०     | सामान्य चिया खाजा पसल                                         | १०००    | ६६     | इन्जिनियर सेवा                                        | २५००    |
| ५१     | होटल/लज तथा रेष्टुरेण्ट ख वर्ग                                | ४०००    | ६७     | फ्रेसहाउस                                             | १०००    |
| ५२     | होटल/लज तथा रेष्टुरेण्ट ग वर्ग                                | ३०००    | ६८     | लेखा परिक्षक "क" वर्ग                                 | १८००    |
| ५३     | होटल तथा रेष्टुरेण्ट घ वर्ग                                   | २०००    | ६९     | लेखा परिक्षक "ख" वर्ग                                 | १३००    |
| ५४     | इलोकट्रोनिक पसल                                               | १५००    | ७०     | लेखा परिक्षक "ग" वर्ग                                 | ८००     |
| ५५     | औषधी पसल<br>थोक(जनस्वास्थ्य)/आयुर्वेदिक                       | २५००    | ७१     | लेखा परिक्षक "घ" वर्ग                                 | ५००     |
| ५६     | औषधी पसल खुद्रा/आयुर्वेदिक<br>खुद्रा                          | १८००    | ७२     | विमा एजिन्ट                                           | १०००    |
| ५७     | स्टेसनरी पसल                                                  | १५००    | ७३     | अन्य सेवाहरु                                          | १५००    |
| ५८     | कुटानी पिसानी व्यवसायिक मिल                                   | १०००    | ७४     | अनुवादक                                               | ५००     |
| ५९     | कुटानी पिसानी घरायसी मिल                                      | ५००     | ७५     | नोटरि पब्लिक सेवा                                     | २०००    |
| ६०     | पशुपंक्षी दाना पसल                                            | १२००    | ७६     | अनुसन्धान कर्ता तथा परामर्श<br>दाता भाषा अनुवादक समेत | २०००    |
| ६१     | जडी बुढी पसल                                                  | १५००    | ७७     | कम्प्युटर एनालुष्ट तथा<br>प्रोग्रामर                  | १०००    |
| ६२     | विशेषज्ञ परामर्श तथा अन्य<br>व्यवसायीक सेवा/कानुन<br>व्यवसायी | २०००    | ७८     | सामान दुवानि कर्ता कम्पनि                             | २०००    |

|    |                        |      |    |                                     |      |
|----|------------------------|------|----|-------------------------------------|------|
| ६३ | दन्त चिकोत्सक रिसर्च   | २००० | ७९ | कृषि/पशु पंक्षी जन्य फार्महरू       | ५००  |
| ६४ | पशु चिकोत्सक रिसर्च    | २००० | ८० | संस्थागत पेन्टर                     | २००० |
| ६५ | कबिराज सेवा / आयुर्वेद | १५०० | ८१ | विविध ( माथि समावेश नभएका हरू सबै ) | १५०० |

नोट:- माथि उल्लेखित शुल्कहरू नविकरण शुल्क कायम गरिएको र नयाँ दर्ता शुल्क रु. २०००।-दुइहजार लाग्नेछ।

#### अनुसूची - ५

ऐनको दफा ६ सँग सम्बन्धीत  
मंगला गाउँपालिकाले आफ्नो क्षेत्रभित्र लगाउन सक्ने  
जडिबुटी, कवाडी र जीवजन्तु कर

| क्र.स. | विवरण                                                                    | शुल्क                |
|--------|--------------------------------------------------------------------------|----------------------|
| १      | उन                                                                       | रु. ५००।-            |
| २      | खोटो                                                                     | रु. ५/- प्रति के.जि. |
| ३      | जडिबुटी                                                                  | राजश्व दरको १३%      |
| ४      | वनकपास                                                                   | राजश्व दरको १३%      |
| ५      | कवाडीमाल धातु जन्य प्रति बोरा                                            | रु. २०।-             |
| ६      | कवाडीमाल शिशा जन्य प्रति बोरा                                            | रु. २।-              |
| ७      | मृत वा मारिएको जन्तुको हाड, सिङ्ग, प्वाख, छाला आदिको (प्रतिवन्धित वाहेक) | रु.२०००।-            |

#### अनुसूची - ६

ऐनको दफा ७ सँग सम्बन्धीत  
मंगला गाउँपालिकाले आफ्नो क्षेत्रभित्र लगाउन सक्ने  
विज्ञापन कर

| क्र.स. | विवरण                 | परिमाण (दस्तुर)     |
|--------|-----------------------|---------------------|
| १      | ५० वर्गफि. सम्म       | प्रति फिटको रु. ३।- |
| २      | ५१ वर्गफि. भन्दा माथि | प्रति फिटको रु. ५।- |



## अनुसूची -७

ऐनको दफा ८ सँग सम्बन्धीत

मंगला गाउँपालिकाले आफ्नो क्षेत्रभित्र लगाउन सक्ने

मनोरञ्जन कर

(मेला-पर्वमा स्थापित मनोरञ्जन पसल पिड, रोटे पिड लगायत मनोरञ्जनात्मक क्रियाकलाप समेत)

प्रतिदिन रु. १०००

## अनुसूची-८

दफा ९ सँग सम्बन्धीत

मंगला गाउँपालिकाले आफ्नो क्षेत्रभित्र लगाउन सक्ने

बहाल बिटौरी शुल्क

गाउँपालिका मातहतका सार्वजनिक भवन तथा स्थलहरुमा सेवा लिएर वापत शुल्क

| सि.नं. | विवरण           | दर                            |
|--------|-----------------|-------------------------------|
| १      | भवनमा भए        | रु. ५००/-प्रति दिन            |
| २      | खालि जग्गामा भए | प्रति ५० वर्ग मिटर रु<br>५०/- |

## अनुसूची-९

दफा १० सँग सम्बन्धीत

मंगला गाउँपालिकाले आफ्नो क्षेत्रभित्र लगाउन सक्ने

## पार्किङ्ग शुल्क

गाउँपालिकाले तोकेको स्थानमा पार्किङ्ग गरे वापत लागने शुल्क

| सि.नं. | विवरण              | दर                 |
|--------|--------------------|--------------------|
| १      | मोटर साईकल         | रु. १०/-प्रति दिन  |
| २      | कार, जीप, भ्यान    | रु. २०/-प्रति दिन  |
| ३      | बस, ट्रक, ट्याक्टर | रु. ५०/-प्रति दिन  |
| ४      | डोजर, स्काभेटर     | रु. १००/-प्रति दिन |

## अनुसूची-१०

दफा ११ सँग सम्बन्धीत

मंगला गाउँपालिकाले आफ्नो क्षेत्रभित्र लगाउन सक्ने

## प्रस्तावित Rafting शुल्क

मंगला गाउँपालिका क्षेत्र भित्रका नदिमा Rafting गरेवापत प्रति वोट रु. १०००/-

## अनुसूची-११

ऐनको दफा १२ सँग सम्बन्धीत

मंगला गाउँपालिकाले आफ्नो क्षेत्रभित्र लगाउन सक्ने

सेवा शुल्क, दस्तुर

| सि.नं. | विवरण                                                   | दस्तुर               |
|--------|---------------------------------------------------------|----------------------|
| १      | सम्पती मुल्यांकन जम्मा रकमको                            | ०.१%                 |
| २      | आयस्रोत प्रमाणित जम्मा रकमको                            | ०.१%                 |
| ३      | नाता प्रमाणित निवेदन दस्तुर सहित                        | २५०                  |
| ४      | जन्म मिति प्रमाणित                                      | २५०                  |
| ५      | विवाह प्रमाणित तथा अविवाहित प्रमाणित                    | २५०                  |
| ६      | अंग्रेजि माध्यममा सिफारिस                               | ५००                  |
| ७      | घर, पाताल प्रमाणित                                      | २५०                  |
| ८      | व्यक्तिगत विवरण प्रमाणित                                | २५०                  |
| ९      | जिवित संगको नाता प्रमाणित                               | २५०                  |
| १०     | हकवला वा हकदार प्रमाणित                                 | २५०                  |
| ११     | संरक्षक प्रमाणित गर्ने तथा संस्थागत र व्यक्तिगत संरक्षक | २५०                  |
| १२     | हकवला वा हकदार प्रमाणित                                 | २५०                  |
| १३     | संरक्षक प्रमाणित गर्ने तथा संस्थागत र व्यक्तिगत संरक्षक | २५०                  |
| १४     | मेला पर्व सञ्चालन अनुमति (बढिमा ५ दिन मात्र)            | प्रति दिन रु. १०००/- |
| १५     | नक्शा पास                                               |                      |
| १५.१   | आरसीसी ढलान ग्राउण्ड र पहिलो तला प्रति स्क्वायर फिट     | ५                    |
| १५.२   | आरसीसी ढलान तेश्रो र चौथो तला प्रति स्क्वायर फिट        | ६                    |
| १५.३   | आरसीसी ढलान पाँचौ तला देखि प्रति स्क्वायर फिट           | ८                    |
| १५.४   | ढुङ्गा माटोको जडान छानावाला                             | १०००                 |
| १५.५   | छाप्रा टहरा                                             | ५००                  |
| १६     | संघ संस्था दर्ता सिफारीस                                | १०००                 |
| १७     | संघ संस्था नविरण सिफारिस                                | ५००                  |
| १८     | घ वर्गको इजाजत पत्र दर्ता                               | ५०००                 |
| १९     | घ वर्गको इजाजत पत्र नविकरण                              | २५००                 |
| २०     | व्यवसाय दर्ता                                           | २०००                 |
| २१     | सहकारी दर्ता शुल्क                                      | २५००                 |
| २२     | वचत तथा ऋण सहकारी सेवा शुल्क                            | २०००                 |

|    |                                                                               |      |
|----|-------------------------------------------------------------------------------|------|
| २३ | उत्पादमुलक सहकारी सेवा शुल्क                                                  | १००० |
| २४ | महिला सहकारी सेवा शुल्क                                                       | १००० |
| २५ | व्यक्तिगत घटना दर्ता ३५ दिन कटेमा लाग्ने शुल्क                                | २००  |
| २६ | व्यक्तिगत घटना दर्ता प्रतिलिपी लाग्ने शुल्क                                   | ५००  |
| २७ | विद्यालयका विद्यार्थीका सर्टीफिकेटमा विवरण सच्याउन                            | २००  |
| २८ | कन्सुलर प्रमाणित नेपाली प्रति पेज                                             | २५०  |
| २९ | कन्सुलर प्रमाणित अंग्रेजी प्रति पेज                                           | ५००  |
| ३० | वालुवा उत्तखन्न तथा विक्री व्यक्तिगत जग्गा निकासी कर प्रति घन. मि.            | ५००  |
| ३१ | ढुङ्गा उत्तखन्न तथा विक्री व्यक्तिगत जग्गा र भिरपखेरा निकासी कर प्रति घन. मि. | २५०  |
| ३२ | स्थानीय काठ व्यक्ति र सामुदायिक वन भित्रको निकासी कर प्रति घन मि.             | २५०  |
| ३३ | खानी उद्योगको कटीड ढुङ्गा निकासी कर प्रति घन मि.                              | २५०  |

अनुसूची-१२

ऐनको दफा १३ सँग सम्बन्धीत  
मंगला गाउँपालिकाले आफ्नो क्षेत्रभित्र लगाउन सक्ने  
पर्यटन शुल्क

| सि.नं. | विवरण                                                    | दस्तुर              |
|--------|----------------------------------------------------------|---------------------|
| १      | मंगला गाउँपालिका भित्र प्रवेश गर्ने विदेशी पर्यटकका लागि | प्रति पटक रु. १००/- |

## अनुसूची-१३

मंगला गाउँपालिकाले आफ्नो क्षेत्रभित्र लगाउन सक्ने

ऐनको दफा १४ सँग सम्बन्धीत

ढुङ्गा गिटी वालुवा

| सि.नं. | विवरण                               | दस्तुर                                                     |
|--------|-------------------------------------|------------------------------------------------------------|
| १      | मंगला गाउँपालिका ढुङ्गा गिटी वालुवा | IEE प्रतिवेदन अनुसार प्रति घनमिटर प्रदेश कानून वमोजिम हुने |

## अनुसूची-१४

मंगला गाउँपालिकाले आफ्नो क्षेत्रभित्र लगाउन सक्ने

ऐनको दफा १५ सँग सम्बन्धीत

वन रोयल्टी

| सि.नं. | विवरण        | दस्तुर                                                   |
|--------|--------------|----------------------------------------------------------|
| १      | सामुदायिक वन | सामुदायिक वनको लेखा परिक्षणको आधारमा खुद आयको १० प्रतिशत |

आज्ञाले

मनोहर ढुङ्गाना

प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत